वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2016-चैत्र 5, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, अतुलराम अहिरवार पुत्र नोनीतराम अहिरवार, निवासी-ग्राम रूसल्ली साहू, मेरा पूर्व नाम तुलाराम उर्फ तुलाराम अहिरवार था. अब मुझे मेरे नये नाम अतुलराम अहिरवार से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(तुलाराम उर्फ तुलाराम अहिरवार)

नया नाम :

(अतुलराम अहिरवार)
ग्राम रूसल्ली साहू, लटेरी,
जिला-विदिशा (म.प्र.).

(691-बी.)

CHANGE OF NAME

My Previous Name Miss. MANOJ MORE D/o Mr. RAMESH MORE Mother Mrs. MEERA DEVI, Hindu R/o- VILLAGE PADARIYA KACHHI RAISEN ROAD, BHOPAL (M.P.) - 462021 INDIA. Post my marraige with Mr NARESH AHIRWAR R/o- A-55, Dr. AMBEDKAR COLONY OLD SUBHASH NAGAR, GOVINDPURA, BHOPAL (M.P.) - 462023. I am required to change my name for obious legal reasons from Miss MANOJ MORE to MRS. MANJU NARESH AHIRWAR.

Therefore, my new IDENITY should BE/known as Mrs. MANJU NARESH AHIRWAR.

Old Name :

(MANOJ MORE)

New Name :

(MANJU NARESH AHIRWAR)
Residing at—A-55, Dr. Ambedkar Colony
Old Subhash Nagar, Govindpura,
Bhopal (M.P.) 462023.

(695-B.)

CHANGE OF NAME

My Previous Name Miss. SUVASINI PANDEY D/o Mr. Kanhailal Pandey Mother Mrs. MAMTA PANEDY,

R/o- Indraprasth Appartment First Floor, Room No. 104, Near Durga Mata Mandir, Kolsewadi, Kalyan (Thane) Maharastra 421306 INDIA. Post my marraige with Mr VAIBHAV DESHPANDE R/o- 188, ROHIT NAGAR, PAHSE-1, E-8, EXTN. NEAR GULMOHAR COLONY, BHOPAL (M.P.) I am required to change my name for obious legal reasons from Miss SUVASINI PANDEY to MRS. SUVASINI PANDEY.

Therefore, my new IDENITY should BE/known as Mrs. MAHAK VAIBHAV DESHPANDE.

Old Name :

(SUVASINI PANDEY)

New Name :

(MAHAK VAIBHAV DESHPANDE)
Residing at -188, Rohit Nagar,
Pahse-1, E-8, Extn. Near Gulmohar Colony,
Tehsil- Huzur, Bhopal 462039 (M.P.).

(696-B.)

आम सूचना

मैं, डॉ. रविशंकर गुप्ता (मोदी) तनय स्व. श्री गोपाल जी मोदी, निवासी मोहल्ला कटरा, पन्ना, तहसील व जिला पन्ना मध्यप्रदेश का निवासी हूँ. मेरा नाम कुछ अभिलेखों में रविशंकर गुप्ता तथा कुछ अभिलेखों में रविशंकर मोदी (गुप्ता) कुछ अभिलेखों में डॉ. रविशंकर गुप्ता (मोदी) एवं कुछ अभिलेखों में रविशंकर लेख हो गया है जो मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से उचित नहीं है. इसलिये सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझे प्रकाशन दिनांक से डॉ. रविशंकर गुप्ता (मोदी) के नाम से जाना जाये पढ़ा जाये, एवं पत्राचार किया जाये यह भी सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार उप-नाम में सुधार करने की कार्यवाही भविष्य में की जायेगी कृपया सूचित हो.

रविशंकर गुप्ता (मोदी),
निवासी-मोहल्ला कटरा,
तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.).

(697-बी.)

PUBLIC NOTICE

(Public Notice of Retirement of Partner)

Public Notice is hereby given that with effect from 12.09.2015 I, Mr. Amit Goel shall retire from the firm M/s. Cosmetica Registration No. 01/01/01/00393/14, Date 19.12.2014 consisting of Mr. Rajendra Pawar and myself (Mr. Amit Goel) which was incorporated *vide* partnership deed dated 08.10.2014 for carrying on business of cosmetic products at Bhopal under the name and style of M/s COSMETICA and duly registered at Bhopal in the Registrar of firm. A new partner Mr. Sanjay Kumar Pawar is being inducted in the partnership with effect from 14.09.2015 FURTHER TAKE NOTICE that I shall not be liable for any act done by the remaining partners of the said firm or any of them or anybody acting on their behalf from and after the said date of retirement.

For-M/s. Cosmetica
Sd/- RAJENDRA PAWAR,
(Partner).

(692-B.)

सार्वजनिक सूचना

मैसर्स सफल टेडिंग रजिस्टर्ड, पता यू. जी. 66, टेड सेन्टर, 18 साउथ तुकोगंज, इन्दौर एक पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें 5 पार्टनर है. 1. श्री संजय भाटिया, 2. श्री संजय नायक, 3. श्रीमती कीर्ति नायक, 4. श्री सुजाय भोंसले एवं 5. श्रीमती साधना काशिद हैं.

मैसर्स सफल टेडिंग पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर श्री संजय नायक के अलावा सभी पार्टनर फर्म से विभिन्न दिनांकों को निवृत्त हो गए हैं एवं यह पार्टनरशिप दिनांक 10 सितम्बर, 2014 को भंग हो चुकी है और अब श्री संजय नायक फर्म मेसर्स सफल टेडिंग के प्रोपरायटर होकर इसका संचालन कर रहे हैं.

मैसर्स सफल टेडिंग,
संजय नायक,
(प्रोपरायटर).

(693-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मातोश्री एसोसियेट्स जिसका पंजीयन क्रमांक 06/09/01/00089/14, वर्ष 2014 में पंजीयन हुआ था. जिसमें दो पार्टनर श्री संजय चतुर्वेदी (चौबे) पुत्र श्री महेश प्रसाद चौबे, आयु 43 वर्ष, निवासी नाखरे गली, गोपालगंज, जिला सागर म.प्र.

एवं दूसरे पार्टनर श्री रमेश पाराशर पुत्र स्व. श्री सरजू प्रसाद, आयु 55 वर्ष, निवासी श्रीराम नगर वृन्दावन वार्ड सागर थे. दिनांक 27 फरवरी, 2016 से तीसरे भागीदार के रूप में इस फर्म में श्री श्रीकान्त सिलाकारी पुत्र स्व. श्री रसिक बिहारी सिलाकारी, आयु 45 वर्ष, निवासी कोतवाली रोड, चकरा घाट, वार्ड सागर शामिल हो गये हैं. अब वर्तमान में मातोश्री एसोसियेट फर्म में तीन पार्टनर हैं. किसी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है.

सूचनाकर्त्ता
मैसर्स मातोश्री एसोसियेट्स,
श्रीकान्त सिलाकारी,
(पार्टनर)
म. नं. 25, नाखरे गली,
गोपालगंज सागर.

(694-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट मेंहगाँव, जिला भिण्ड

प्र.क्र.-2/2012-13 बी-113.

प्रारूप-पाँच

[धारा-5 (2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (1951) और 5 (1) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम-1982 के अंतर्गत]

रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट मेंहगाँव के समक्ष मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूची में दी गयी जायदाद मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-(2) उप-धारा-(4) के अन्तर्गत एक पब्लिक ट्रस्ट है.

अत: मैं, तहसील मेंहगाँव, जिला भिण्ड को लोक न्यासों का पंजीयन कर अपने न्यायालय में 30 दिवस तक को उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-1 के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता : श्री गिर्राज धर्माथ न्यास गिर्राजधाम सेंथरी (सिमार).
तहसील मेंहगाँव, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश.

सम्पत्ति विवरण :-

1. हरमोनियम
2. मजीरा
3. ढोलक
4. बाल्टी दो
5. भगौना दो
6. घन्टा 4 पीतल के
7. रस्सी
8. थाली 4, सागर 4

ट्रस्ट से सम्बन्धित अन्य अचल सम्पत्ति—

ग्राम सेंथरी (सिमार) स्थित भूमि सर्वे नम्बर 192/1 एवं 192/2 में स्थित मन्दिर एवं बगीचा स्थित है.

ट्रस्ट की आय का साधन—

मन्दिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ोतरी के रूप में दिया जाने वाला दान ही मात्र आय का साधन है. अनुमानित वार्षिक आय-चढ़ोतरी से होने वाली आय-50,000 रुपया.

उमा करारे,

(217) अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट (शहर), जिला रतलाम

क्र.04/बी-113(1)/2015-16. रतलाम, दिनांक 12 फरवरी, 2016

फार्म-4

[नियम-5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4(2) के तहत]

क्र./04/आर-3/16.—आवेदक श्री शंकरलाल पिता श्री रामचन्द्र जी छेतिया सिंधी निवासी, निवासी-श्री राम मेनसन गली, पॉवर हाउॅस रोड, रतलाम के द्वारा श्री स्वामी भगतप्रकाश उर्फ धरमदास चेला सतगुरू स्वामी सर्वानंद की महाराज—अध्यक्ष, निवासी श्री अमरापुर स्थान एम. आई. रोड, जयपुर (राजस्थान) को मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत ''श्री स्वामी टेउॅराम आश्रम चेरिटेबल ट्रस्ट, रतलाम'' केसर विहार कॉलोनी, शास्त्री नगर रतलाम मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 11 मार्च, 2016 को की जावेगी.

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 11 मार्च, 2016 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित होंवे. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का पूरा नाम	. .	''श्री स्वामी टेउॅराम आश्रम चेरिटेबल ट्रस्ट रतलाम'' केसर विहार कॉलोनी, शास्त्री नगर, रतलाम (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	. .	केसर विहार कॉलोनी, शास्त्री नगर, रतलाम में स्थित भू-खण्ड क्र. 2 व 3 पर निर्मित भवन जिसकी कीमत रुपये 59,52,326/- है.
चल सम्पत्ति	. .	अकाउण्ट नं. 10495629235, बैंक एस. बी. आई, मित्र निवास रोड, रतलाम (म.प्र.).
बैंक जमा	. .	1581.41
नगद हाथ में	. .	19,164.00

1.	भगवान के चांदी के मुकुट	4 नग	7000.00
2.	भगवान के चांदी के छोटे छत्र	3 नग	1200.00
3.	स्टील के वर्तन थाली	55 नग	
4.	स्टील के वर्तन गिलास	50 नग	
5.	स्टील के वर्तन कटोरियां	60 नग	
6.	स्टील के वर्तन चम्मच	100 नग	
7.	स्टील के वर्तन बड़े चम्मच	20 नग	
8.	तपेले एल्युमिनीयम	5 नग	
9.	भटटे-चूल्हे	3 नग	
10.	स्टील परात	3 नग	

11.	धामें स्टील	10 नग
12.	सोफासेट	1 नग
13.	वाटर कूलर	1 नग
14.	फ्रीडा	1 नग
15.	अलमारी लोहे की	3 नग
16.	लकड़ी का पलंग	5 नग
17.	आहूजा कं. एम्पलिफायर	1 नग
18.	माईक सेट	1 नग
19.	इण्डेन गैस	1 नग
20.	बी. एस. एन. एल. टेलिफोन	1 नग
21.	जाजम	6 नग
22.	पी. वी. सी. कुर्सियां	12 नग

सुनिल झा,

(218) रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-खण्डवा, जिला खण्डवा

प्र.क्र.02/बी-113(1)/2015-16. दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं

मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962, के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि श्री नारायण बाहेती, खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 18 मार्च, 2016 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो-प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता.	:	लायन्स भवन ट्रस्ट, शासकीय हॉस्पिटल के सामने, पडावा रोड, खण्डवा.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 6, 50,000/- नगद, बैंक ऑफ बड़ौदा, खण्डवा में जमा.
अचल सम्पत्ति	:	लायन्स क्लिनिक भवन खण्डवा, लागत अनुमानित 40,00,000/-.

शाश्वत शर्मा,

(219) अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी खाचरौद, जिला उज्जैन

दिनांक 16 दिसम्बर, 2015

प्र. क्र.04/बी-113/13-14.

[धारा-5 (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (क्र. 30 सन् 1951) और (5) संशोधित 1952 के अंतर्गत]

क्र.772/रीडर/15.—आवेदक दशरथ कुमार पिता सरदारमलजी मेहता, निवासी-खाचरौद, अध्यक्ष द्वारा श्री वर्धमान युवक मण्डल न्यास, खाचरौद को सार्वजनिक न्यास पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के तहत प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर न्यायालयीन कार्यदिवस में कार्यालयीन समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि पश्चात् किसी भी दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(लोक न्यास का नाम और पता एवं चल/अचल संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम .. श्री वर्धमान युवक मण्डल न्यास, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.).

अचल सम्पत्ति .. निरंक.

दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

अशोक व्यास,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(220)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बण्डा, जिला सागर

प्र. क्र. 02बी/113(1) वर्ष 2013-14.

मौजा-बरखेरा प.ह.नं.-01,तह.बण्डा.

नारानसींग पिता गम्भीरसींग लोधी,
निवासी-बरखेरा, तह. बण्डा, जिला सागर. .....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

इश्तहार

क्र.क/ /रीडर-1/2016.—सर्व-साधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक नारान पिता गम्भीरसींग लोधी, निवासी-बरखेरा, तहसील बण्डा, जिला सागर, मध्यप्रदेश द्वारा मुहत्तमकार एवं कमेटी गठन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. मंदिर श्री श्री 108 महावीर स्वामी जी के नाम से मौजा-बरखेरा, प.ह.नं.-01, तहसील बण्डा में स्थित भूमि खसरा नंबर 53, 118, 127, 162, 187, 266 रकबा-0.77, 0.80, 1.01, 0.02, 0.22, 1.10 कुल रकबा 3.920 हे. जो सरवाहवार पंचम कमेटी कम्मोदसींग बल्द भूरे, स्वामीसींग लोधी मुहत्तमकार प्रबंधक कलेक्टर सागर के दर्ज है.

मंदिर की कमेटी का गठन ग्राम पंचायत-सलैयाकलॉ, विकासखण्ड बण्डा द्वारा प्रस्ताव क्रमांक-30, दिनांक 26 जनवरी, 2016 के अनुसार निम्नानुसार गठन प्रस्तावित हैं :—

क्र.	नाम पिता का नाम	पता	प्रस्तावित पद
1	2	3	4
1.	नारानसींग पिता गम्भीरसींग, लोधी	बरखेरा	मुहत्तमकार/अध्यक्ष
2.	कपूरसींग पिता अर्जन सींग लोधी	बरखेरा	उपाध्यक्ष
3.	लखनसींग पिता अमोलसींग लोधी	बरखेरा	कोषाध्यक्ष
4.	डोलनसींग पिता रूपसींग लोधी	बरखेरा	सचिव
5.	अनंतसिंह पिता भुजबल लोधी	बरखेरा	सहायक सचिव

1	2	3	4
6.	किशोरसिंह पिता राजाराम लोधी	बरखेरा	सदस्य
7.	कप्तानसिंह पिता लटकनसिंह लोधी	बरखेरा	सदस्य
8.	गोविन्दसिंह पिता पहार सिंह लोधी	बरखेरा	सदस्य
9.	कमोद पिता हिम्मतसिंह लोधी	बरखेरा	सदस्य
10.	अमानसिंह पिता खेतसींग लोधी	बरखेरा	सदस्य

अत: उपरोक्तानुसार मंदिर समिति का गठन एवं आवेदक को मुहत्तमकार नियुक्त किये जाने के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 29 मार्च, 2016 को स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया जावेगा.

इश्तहार मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 09 मार्च, 2016.
पेशी दिनांक 29 मार्च, 2016.

(221)

रा.प्र. क्र. बी/121/वर्ष 2015-16.

मौजा-अब्दापुर,प.ह.नं.-02,तह.बण्डा.

1. सुमन पिता दिलीप जैन,
अध्यक्ष,
आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय केन्द्र, अवदापुर बम्हौरी-सागर
तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) .....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

इश्तहार

क्र.क/ /रीडर-1/2016.—सर्व-साधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक सुमन पिता दिलीप जैन, अध्यक्ष आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय केन्द्र अवदापुर बम्हौरी-सागर, तहसील बण्डा, जिला-सागर (म.प्र.) द्वारा असहाय गाय (पशुओं) की रक्षा हेतु गौशाला निर्माण एवं ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया गया है साथ ही मौजा-अब्दापुर, प. ह. नं.-58, तहसील बण्डा में स्थित भूमि ख. नं.-129 रकवा 1.08 हे. जो संयुक्त खाते में केशरानी बेबा बाबूसींग, राजू पिस. चौदे, प्रागरानी बेबा चौद, भारती पुत्री चौदे गौड़ साकिन देह के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है.

उक्त खसरा नम्बर-129 रकवा 1.08 हे. में से पूर्ण रकवा तीन वर्ष के लिये गौशाला हेतु मासिक किराया 500/- प्रतिमाह के हिसाब से तीन वर्ष के लिए किराये से लिया जा रहा है तथा उक्त भूमि के सहखातेदारों द्वारा गौ-शाला निर्माण हेतु सहमति दी गई है.

अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र उन्हें गौशाला निर्माण हेतु मौजा-अब्दापुर प. ह. नं.-58, तहसील बण्डा में स्थित भूमि ख. नं.-129 रकवा 1.08 हे. तीन वर्ष के लिये गौशाला निर्माण हेतु तथा गौ-शाला के पंजी हेतु दी जा रही है. उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति पेशी दिनांक 28 मार्च, 2016 को स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद गुजरने आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया जावेगा.

जारी दिनांक 09 मार्च, 2016.
पेशी दिनांक 28 मार्च, 2016.

(221-A)

प्र. क्र. /बी/113(1) वर्ष 2015-16. बण्डा, दिनांक 11 मार्च, 2016

मौजा-रवारा, प.ह.नं.-39,तह.शाहगढ़.

अनिल कुमार पिता स्व. हरसहाय रावत
निवासी-धुरमान, तह. शाहगढ़, जिला सागर. .....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

इश्तहार

क्र.क/819/रीडर-1/2016.—सर्व-साधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक अनिल कुमार पिता स्व. हरसहाय रावत, निवासी-धुरमान, तहसील शाहगढ़, जिला सागर मध्यप्रदेश द्वारा मुहत्तमकार एवं कमेटी गठन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. मंदिर श्रीदेव बिहारी जी के नाम से मौजा-रवारा, प. ह. नं.-39, तहसील शाहगढ़ में स्थित भूमि ख. नं.-02, 39, 63, 64, 110, 112, 113, 114, 181, 182, 186, 240, 244, 246, 250, 251, 266, 318, 322, 332, 364, 366, 426, 427, 428 कुल मेड-25 रकवा क्रमशः-3.90, 0.39, 1.16, 0.83, 0.12, 0.81, 0.05, 1.13, 0.06, 0.18, 0.04, 0.02, 0.03, 0.26, 4.42, 0.50, 0.41, 1.22, 1.77, 0.35, 1.11, 0.30, 0.06, 0.57, 0.10 कुल रकवा-19.79 हे. जो श्रीदेव बिहारी जी मंदिर मुह. हरसहाय पिता गौरीशंकर सा. धुरमार प्रबंधक कलेक्टर सागर के नाम दर्ज है.

आवेदक स्वयं को मुहत्तमकार नियुक्त कराना चाहता है व मंदिर की कमेटी का गठन कराना चाहता है. ग्राम पंचायत-रवारा, विकासखण्ड शाहगढ़ द्वारा प्रस्ताव क्रमांक-32, दिनांक 15 अगस्त, 2015 के अनुसार निम्नानुसार गठन प्रस्तावित है :—

क्र.	नाम पिता का नाम	पता	प्रस्तावित पद
1.	अनिल कुमार पिता स्व. हरसहाय रावत	धुरमार	मुहत्तमकार/अध्यक्ष
2.	खिलानसिंह पिता मजबूतसिंह राजपूत	धुरमार	उपाध्यक्ष
3.	आकाश पिता अनिल कुमार रावत	धुरमार	कोषाध्यक्ष
4.	अरूण कुमार पिता स्व. हरसहाय रावत	धुरमार	सचिव
5.	अंकुश कुमार पिता अनिल कुमार रावत	धुरमार	सहायक सचिव
6.	श्रीमती भारती पति अनिल कुमार रावत	धुरमार	सदस्य
7.	साहब सिंह पिता बृजलाल लोधी	धुरमार	सदस्य
8.	महेन्द्रप्रसाद पिता गंगाप्रसाद रावत	धुरमार	सदस्य
9.	राजेन्द्र प्रसाद पिता स्वामीप्रसाद चौबे	धुरमार	सदस्य
10.	कृष्णकुमार पिता नर्मदाप्रसाद रावत	धुरमार	सदस्य

अतः उपरोक्तानुसार मंदिर समिति का गठन एवं आवेदक को मुहत्तमकार नियुक्त किये जाने के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 29 मार्च, 2016 को स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया जावेगा.

इश्तहार मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 09 मार्च, 2016.
पेशी दिनांक 29 मार्च, 2016.

बी. बी. पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी.

(221-B)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि.एम.पी.नगर, वृत्त, भोपाल

प्र.क्र.03 /बी-113/2014-15.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट नजूल वृत्त एम. पी. नगर, वृत्त भोपाल.

जैसा कि श्री बी. भूषण साहू आ. श्री के. एल. साहू एवं श्रीमती प्रीति साहू पत्नी श्री बी. भूषण साहू, निवासीगण-71, टैगोर नगर, फेस-3, खजूरीकलॉ, पिपलानी मध्यप्रदेश भोपाल ''गंगाराम साहू मेमोरियल सेवा ट्रस्ट'' द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र सूची में दर्शाए सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2016 को विचार में लिया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	..	''गंगाराम साहू मेमोरियल सेवा ट्रस्ट''.
व पता		71, टैगोर नगर, फेस-3, खजूरीकलॉ, पिपलानी मध्यप्रदेश, भोपाल.
चल सम्पत्ति	..	5,100/- (मात्र पाँच हजार एक सौ रुपये).
अचल सम्पत्ति	..	--

(222)

प्र.क्र.02 /बी-113/2014-15.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट नजूल वृत्त एम. पी. नगर, वृत्त भोपाल.

जैसा कि विनोद राठौर पिता श्री एन. एम. राठौर, निवासी-62, श्रीराम परिसर अवधपुरी, भोपाल एवं कु. संगीता ततवारे पिता स्व. श्री बी. एस. ततवारे, निवासी-43, कौशल्यानगर अवधपुरी भोपाल ''देवबगस प्राक मेमोरियल सेवा ट्रस्ट'' द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र सूची में दर्शाए सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2015 को विचार में लिया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	..	''देवबगस प्राक मेमोरियल सेवा ट्रस्ट''
व पता		62, श्रीराम परिसर अवधपुरी भोपाल.
चल सम्पत्ति	..	5,100/- (मात्र पाँच हजार एक सौ रुपये).
अचल सम्पत्ति	..	--

सन्दीप केरकेट्टा,
अनुविभागीय अधिकारी.

(222-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रर्ड, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर, वृत्त भोपाल

प्र.क्र. /बी-113/2015-16.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-(1) के अन्तर्गत]

जैसाकि विष्णु मेमोरियल सेवा ट्रस्ट द्वारा श्री विश्वजीत दुबे मुख्य ट्री (अध्यक्ष) ''विष्णु मेमोरियल सेवा ट्रस्ट'' बी-7, तिलक नगर बावडियाकलां गुलमोहर कॉलोनी, तिलक शॉपिग सेन्टर के पास भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत् एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 11 मार्च, 2016 को विचार किया जायेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव देना चाहते हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति एवं सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	:	''विष्णु मेमोरियल सेवा ट्रस्ट''
2. अचल सम्पत्ति	:	निल.
3. चल सम्पत्ति	:	5,100 रुपये.

आज दिनांक 10 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(223)

प्र.क्र. /बी-113/2015-16.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-(1) के अन्तर्गत]

जैसाकि आकृति सीनियर सिटीजन होम्स द्वारा श्री राजीव सोनी ट्रस्टी (न्यासी) ''आकृति सीनियर सिटीजन होम्स द नेस्ट ट्रस्ट आकृति'' ईको-सिटी ई-8, एक्सटेंशन बावडियाकलां, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत् एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 11 मार्च, 2016 को विचार किया जायेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति एवं सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	:	''आकृति सीनियर सिटीजन होम्स द नेस्ट ट्रस्ट आकृति''
2. अचल सम्पत्ति	:	निल.
3. चल सम्पत्ति	:	50,000 रुपये.

आज दिनांक 10 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

सुनील नायर,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(223-A)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल, सीधी

सीधी, दिनांक 05 मार्च, 2016

आदेश

क्र./मा.चि./67.—नीचे दी गई आकृति का पासिंग हैमर वन परिक्षेत्र मझौली वीट चमराडोल बीटगार्ड श्री दीपक कुमार पनिका, वनरक्षक को एस. सी. आई. कूप नं. IV संगम कक्ष क्रमांक आर-13101, 1302, 1303 कुल रकबा 111.190 हे. के कार्य सम्पादन हेतु दिया गया था. उप वनमण्डलाधिकारी मझौली के पत्र क्र./386, दिनांक 01 मार्च, 2016 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त पासिंग हैमर श्री दीपक कुमार पनिका, वनरक्षक बीट गार्ड चमराडोल से गुम गया है. जिसकी रिपोर्ट थाना मझौली में दिनांक 16 जनवरी, 2016 को दर्ज कराई गई एवं पासिंग हैमर के खोजवीन के समस्त प्रयास असफल रहे.

अत: वन वित्तीय नियम-124 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे दर्शित आकृति का गुमशुदा पासिंग हैमर को अपलेखित किया जाता है.

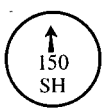

उक्त पासिंग हैमर की कीमत रुपये 855.00 श्री दीपक कुमार पनिका, वनरक्षक, बीट गार्ड चमराडोल से एक मुश्त वसूल किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा कार्य में लापरवाही वरतने के फलस्वरूप भविष्य के लिये चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

इसके अतिरिक्त सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त हैमर कहीं मिले तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित किया जावे. यदि उपरोक्त हैमर को कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से रखे हुए अथवा उपयोग करते हुए पाया जावेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम एवं दण्ड विधान के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी.

वाय. पी. सिंह,
वन मण्डलाधिकारी

(224)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोडखेड़ी, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 29 मई, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोडखेड़ी, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोडखेड़ी, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./1010, दिनांक 29 मई, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोडखेड़ी, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोडखेड़ी, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोंकरा, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 फरवरी, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोंकरा, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोंकरा, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./787, दिनांक 25 फरवरी, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोंकरा, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोंकरा, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-A)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धरगा, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धरगा, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धरगा, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./ 775, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धरगा, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धरगा, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-B)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गेहूँखेड़ी, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 फरवरी, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गेहूँखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गेहूँखेड़ी, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./ 905, दिनांक 25 फरवरी, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गेहूँखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गेहूँखेड़ी, तहसील सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-C)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

"कारण **बताओ सूचना-पत्र**"

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकाऊपुरा, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 28 जनवरी, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकाऊपुरा, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकाऊपुरा, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./989, दिनांक 28 जनवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकाऊपुरा, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकाऊपुरा, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-D)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

"**कारण बताओ सूचना-पत्र**"

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मूडरा सागर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मूडरा सागर, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये मूडरा सागर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मूडरा सागर, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मूडरा सागर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मूडरा सागर, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./571, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मूडरा सागर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मूडरा सागर, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि मूडरा सागर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मूडरा सागर, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-E)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बैरागढ़, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 जुलाई, 2009 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बैरागढ़, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बैरागढ़, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./744, दिनांक 25 जुलाई, 2009 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक संहकारी संस्था मर्या., बैरागढ़, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बैरागढ़, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-F)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटी रूसल्ली, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 जुलाई, 2009 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटी रूसल्ली, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटी रूसल्ली, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./745, दिनांक 25 जुलाई, 2009 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटी रूसल्ली, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटी रूसल्ली, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-G)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काशीपुर, तहसील नटेरन के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 01 मई, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काशीपुर, तहसील नटेरन को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काशीपुर, तहसील नटेरन, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./918, दिनांक 01 मई, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काशीपुर, तहसील नटेरन को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काशीपुर, तहसील नटेरन विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-H)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ागाँव, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 26 सितम्बर, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ागाँव, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ागाँव, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1025, दिनांक 26 सितम्बर, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ागाँव, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ागाँव, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-I)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौपड़ा, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौपड़ा, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौपड़ा, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./635, दिनांक 10 अक्टूबर, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौपड़ा, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौपड़ा, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-J)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थानावीरान, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थानावीरान, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थानावीरान, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./640, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थानावीरान, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थानावीरान, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-K)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार धूमगिर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धूमगिर, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये धूमगिर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धूमगिर, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, धूमगिर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धूमगिर, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./655, दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत धूमगिर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धूमगिर, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि धूमगिर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धूमगिर, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-L)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलावय, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 31 मार्च, 2004 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलावय, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलावय, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./678, दिनांक 31 मार्च, 2004 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलावय, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलावय, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-M)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नगधा, तहसील नटेरन के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 28 मार्च, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नगधा, तहसील नटेरन को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नगधा, तहसील नटेरन, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./858, दिनांक 28 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नगधा, तहसील नटेरन को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नगधा, तहसील नटेरन विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-N)

विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार जयंती स्टेशनरी प्रिंटिंग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 29 जून, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये जयंती स्टेशनरी प्रिंटिंग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, जयंती स्टेशनरी प्रिंटिंग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./672, दिनांक 29 जून, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत जयंती स्टेशनरी प्रिंटिंग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 29 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि जयंती स्टेशनरी प्रिंटिंग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-O)

विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाटनी, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 04 मई, 2005 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाटनी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाटनी, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./709, दिनांक 04 मई, 2005 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाटनी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 31 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाटनी, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-P)

विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठर्र, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 28 मार्च, 2006 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठर्र, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठर्र, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./715, दिनांक 28 मार्च, 2006 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठर्र, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 31 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठर्र, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-Q)

विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरारिया, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 17 सितम्बर, 2008 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरारिया, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरारिया, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./736, दिनांक 17 सितम्बर, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरारिया, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 31 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरारिया, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-R)

विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कॉचरोद, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कॉचरोद, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कॉचरोद, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./819, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कॉचरोद, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 31 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कॉचरोद, तहसील बासौदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयोन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-S)

विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थनवाया, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 04 फरवरी, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थनवाया, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थनवाया, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./824, दिनांक 04 फरवरी, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थनवाया, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 31 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थनवाया, तहसील बासौदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-T)

विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुरवाई, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुरवाई, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुरवाई, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./802, दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुरवाई, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 31 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुरवाई, तहसील बासौदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-U)

विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नैनवास कलॉ, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नैनवास कलॉ, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नैनवास कलॉ, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./763, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नैनवास कलॉ, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 31 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नैनवास कलॉ, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-V)

विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पामाखेड़ी, तहसील सिरोज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 18 नवम्बर, 2010 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पामाखेड़ी, तहसील सिरोज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पामाखेड़ी, तहसील सिरोज, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./766, दिनांक 18 नवम्बर, 2010 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पामाखेड़ी, तहसील सिरोज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 31 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पामाखेड़ी, तहसील सिरोज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-W)

विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसौरा, तहसील सिरोज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 10 सितम्बर, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसौरा, तहसील सिरोज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसौरा, तहसील सिरोज, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./798, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसौरा, तहसील सिरोज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 31 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसौरा, तहसील सिरोज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-X)

विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तरवरिया, तहसील सिरोज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 11 सितम्बर, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तरवरिया, तहसील सिरोज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तरवरिया, तहसील सिरोज, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./799, दिनांक 11 सितम्बर, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तरवरिया, तहसील सिरोज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 31 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तरवरिया, तहसील सिरोज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-Y)

विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हामिदपुर, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 30 मार्च, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हामिदपुर, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हामिदपुर, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./863, दिनांक 30 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हामिदपुर, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 31 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हामिदपुर, तहसील त्योंदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(212-Z)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबली, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 04 मार्च, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबली, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबली, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./849, दिनांक 04 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबली, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबली, तहसील बासौदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरगनाखेड़ी, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 04 फरवरी, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरगनाखेड़ी, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरगनाखेड़ी, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./825, दिनांक 04 फरवरी, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरगनाखेड़ी, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरगनाखेड़ी, तहसील बासौदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-A)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलिंजा, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 31 मार्च, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलिंजा, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलिंजा, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./792, दिनांक 31 मार्च, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलिंजा, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलिंजा, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-B)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमरा, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 30 मार्च, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमरा, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमरा, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./873, दिनांक 30 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमरा, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमरा, तहसील त्योंदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-C)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महोली, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 30 मार्च, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महोली, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महोली, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./864, दिनांक 30 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महोली, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महोली, तहसील त्योंदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-D)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्रिन्ट, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 31 मार्च, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्रिन्ट, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्रिन्ट, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./791, दिनांक 31 मार्च, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्रिन्ट, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्रिन्ट, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-E)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कछेयाऊ, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 08 फरवरी, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कछेयाऊ, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कछेयाऊ, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./830, दिनांक 08 फरवरी, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कछेयाऊ, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कछेयाऊ, तहसील बासौदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-F)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., त्योंदा, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 08 फरवरी, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., त्योंदा, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., त्योंदा, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./829, दिनांक 08 फरवरी, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., त्योंदा, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., त्योंदा, तहसील त्योंदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-G)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विषधा, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 08 फरवरी, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विषधा, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विषधा, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./828, दिनांक 08 फरवरी, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विषधा, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विषधा, तहसील त्योंदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-H)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुर, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 08 फरवरी, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुर, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुर, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./832, दिनांक 08 फरवरी, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुर, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुर, तहसील त्योंदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-I)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मदनयाई, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 26 फरवरी, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मदनयाई, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मदनयाई, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./844, दिनांक 26 फरवरी, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मदनयाई, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मदनयाई, तहसील त्योंदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-J)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमारी, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 28 फरवरी, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमारी, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमारी, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./846, दिनांक 28 फरवरी, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमारी, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमारी, तहसील त्योंदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-K)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिरिया, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 13 मार्च, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिरिया, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिरिया, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./856, दिनांक 13 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिरिया, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिरिया, तहसील त्योंदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-L)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बराखेड़ा, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 19 अगस्त, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यंह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बराखेड़ा, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बराखेड़ा, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./936, दिनांक 19 अगस्त, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बराखेड़ा, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बराखेड़ा, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-M)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/305.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलखेड़ा खुर्द, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 19 मार्च, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलखेड़ा खुर्द, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलखेड़ा खुर्द, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./909, दिनांक 19 मार्च, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलखेड़ा खुर्द, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलखेड़ा खुर्द, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-N)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/306.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पहो, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 24 फरवरी, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पहो, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पहो, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./904, दिनांक 24 फरवरी, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पहो, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पहो, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-O)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/307.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कबूलपुर, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 11 नवम्बर, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कबूलपुर, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कबूलपुर, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./975, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कबूलपुर, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कबूलपुर, तहसील बासौदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-P)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/308.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेजड़ा सुल्तान, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 31 मार्च, 2005 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेजड़ा सुल्तान, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेजड़ा सुल्तान, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./708, दिनांक 31 मार्च, 2005 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेजड़ा सुल्तान, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेजड़ा सुल्तान, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-Q)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/309.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थान्नेर, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 17 सितम्बर, 2008 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थान्नेर, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थान्नेर, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./737, दिनांक 17 सितम्बर, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थान्नेर, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थान्नेर, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-R)

विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/310.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कचनरिया, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 जून, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कचनरिया, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कचनरिया, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1017, दिनांक 25 जून, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कचनरिया, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कचनरिया, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(213-S)

विदिशा, दिनांक 17 फरवरी, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत)

वर्ष 2013-14 की अंकेक्षण टीप के अनुसार आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा संस्था की उपविधि के उद्देश्यों की पूर्ति करने में असमर्थ रही है तथा वर्ष 2013-14 की अंकेक्षण टीप में अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण आक्षेप एवं सुझाव के बिन्दु क्रमांक 04 में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है.

वर्ष 2013-14 की अंकेक्षण टीप से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क), (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त समिति को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/44, विदिशा, दिनांक 12 जनवरी, 2016 जारी किया गया कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा, पंजीयन क्रमांक 127, दिनांक 29 अप्रैल, 1955 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 17 फरवरी, 2016 को जारी करता हूँ.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(213-T)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2016-चैत्र 5, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

2. **जुताई.**— जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, सतना, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मंदसौर, शाजापुर, देवास, सीहोर, जबलपुर व सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला कटनी में फसल, चना, मसूर, अलसी, गेहूँ व श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, सतना, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मंदसौर, उज्जैन, आगर, शाजापुर, देवास, धार, खरगौन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला मण्डला में फसल धान व पन्ना, सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, नीमच, देवास, बड़वानी, जबलपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .				
3. विजयपुर	. .		(2) . .		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गन्ना, चना, राई-सरसों, मटर .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लवकुश नगर	. .		4. (1) तिल-अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, गेंहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .				
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .	चालू है.	4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूं, चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .	चालू है.	4. (1) तुअर, गेहूं, चना, मसूर अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
***जिला रीवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. त्यौंथर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदो कुटकी, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		तुअर, उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहपारु	. .		(2) . .		
4. जैसिंहनगर	. .				
5. बुढार	. .				
6. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .	चालू है.	4. (1) धान, तुअर, कोदो कुटकी, राई,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		अलसी, चना, गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .	चालू है.	4. (1) ज्वार,को. कुटकी, मूँगफली, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		बाजरा, अधिक. धान, राई-सरसों,	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		अलसी, चना, गेहूँ, मसूर कम.		
			(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1)चना, राई, सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ कम. अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
***जिला सिंगरौली :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) चना, सरसों अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, अधिक. तिल, तुअर, मूंगफली कम. उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..	चालू है.	4. (1) गन्ना अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
***जिला झाबुआ :**	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..		4. (1) मक्का, मूँगफली, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		ज्वार, बाजरा, उड़द, कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..		(2) ..		
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) सोयाबीन अधिक. कपास, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..		(2) ..		
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		अलसी, राई-सरसों अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
***जिला भोपाल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. हुजूर	. .		(2) . .		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) तुअर, उड़द, मूंग, तिल अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों-कुटकी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .				
3. बेगमगंज	. .				
4. गौहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) धान, सोयाबीन, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) धान अधिक. मूंग, उड़द, सोयाबीन, तिल, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .				
3. जबलपुर	. .		(2) . .		
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, मसूर, अलसी, गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ. मसूर, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .				
3. विजयराघौगढ़	. .		(2) . .		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, उड़द, गन्ना, मूँग.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) मक्का, सन, तिल, धान, उड़द, कोदों-कुटकी, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
***जिला डिण्डोरी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूंग, अरण्डी, राई-सरसों, सूरजमुखी	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. उरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला रीवा, सिंगरौली, झाबुआ, खण्डवा, राजगढ, भोपाल, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(216)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.